न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—65 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 65)

1. दौलतराम बैरवा पुत्र श्री मोदान बैरवा निवासी बैरवा का मौहल्ला पालडी परसा भम्बोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. बलीष्टर राम पुत्र श्री दुखनराम जाति महतर निवासी प्लॉट नं0 डी 152 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली जरिए मुख्त्यारआम भंवरलाल पुत्र श्री रामलाल खटीक निवासी 567, खटीकों का मौहल्ला ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

1. चौथमल पुत्र घासी
2. रामदेव पुत्र घासी
3. कजोड पुत्र नारायण
4. छोटू पुत्र नारायण
5. रामजीलाल पुत्र नारायण
6. श्याणी पुत्री नारायण
7. श्रवणी पुत्री नारायण
   समस्त जाति बलाई निवासी नासमोदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
8. पुष्पलता पुत्री ब्रदी प्रसाद जाटव निवासी एस—22, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
9. दिनेश कुमार पुत्र लेखराज जाति चमार निवासी बरूआ हाल रहेजा टॉवर पत्रकार कॉलोनी जयपुर।
10. पारादेवी पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी नासमोदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
11. राजकिशोर पुत्र भंवरलाल गोठवाल बैरवा निवासी 144, नन्दपुरी कॉलोनी हवा सडक बाईस गोदाम जयपुर।
12. सीताराम पुत्र जोहरी जाति बलाई निवासी नासमोदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू राजस्व वाद संख्या 42 / 2015

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरधारी लाल वर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री नानूराम धाभाई अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7
4. राजेश पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13
6. रेस्पोडेंट संख्या 8 से 10, 12 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रकरण में दिनांक 12.12.2018 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8 से 10, 12 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि दिनांक 31.01.2023 को प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि की जमाबंदी व नक्शे की जानकारी करने पर मालूम हुआ कि उसकी खातेदारी भूमि नक्शे में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 की पालना में तरमीम की गई है तब प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई और प्रार्थी दिनांक 01.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कराया और नकल प्राप्त कर यह अपील तैयार करवाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। न्यायाहित में दिनांक 12.12.2018 से 31.01.2023 तक का समय जानकारी के अभाव में एवं तत्पश्चात अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत करवाने में व्यतीत होने से मियाद में छूट दिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं नियम विरूद्ध एवं सुनवाई का नोटिस एवं अवसर दिये बगैर पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से पक्षकारों की हक हिस्से कब्जे काश्त अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 2 पुष्पलता के आवेदन पर सलंग्न नक्शे अनुसार कुर्रेजात में परिवर्तन कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट द्वारा मालीराम से खरीदी गई भूमि बाबत मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी व बैनामे के इन्द्राजों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट एवं मालीराम द्वारा अपीलांट के हक में निष्पादित बैनामे अनुसार संशोधन किया जाना न्यायोचित है जिससे अपीलांट को प्राप्त भूमि एकजाई होकर तदानुसार अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 31 के आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 13.86 है0 वाकै ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता

अलहदा–अलहदा किया गया एवं तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुर्रेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम गाडोता में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व 7 सपठित धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.06.2018 को तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू0अ0/18/1807 दिनांक 19.04.2018 के द्वारा नक्शे कुर्रेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किए गए। दिनांक 08.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुर्रेजात पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व 7 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को नोट प्रेस किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दिनेश पुष्पलता से दुरूस्त कर पुष्पलता किया गया। जिसका वाद पत्र में लाल श्याही से अंकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नक्शे कुर्रेजात एवं प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुर्रेजात में नियत की गई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नक्शे कुर्रेजात एवं प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुर्रेजात के साथ प्रस्तुत नक्शा नमूला के मुताबिक नक्शे कुर्रेजात में संशोधन करके तथा उसके अनुसार प्रकरण डिक्री कर दिया जावे जिसमें वकील पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 12.12.2018 को अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.02.2017 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने के पश्चात तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रकरण में नक्शा व कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 08.08.2018 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोडेंट संख्या 8 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुर्रेजात पेश किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुर्रेजात के साथ प्रस्तुत नक्शा नमूना के मुताबिक नक्शे कुर्रेजात में संशोधन करके तथा उसके अनुसार प्रकरण डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, इस बाबत कथन किए गए।

उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात के बंटवारा वाद में तहसीलदार द्वारा भिजवाए गए कुर्रेजात को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य

पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बगैर केवल रेस्पोडेंट संख्या 8/पुष्पलता के आवेदन पर बिना किसी आधार पर पक्षकारों की सहमति अंकित करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट में परिवर्तन कर दिया जो कि न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि बिना पक्षकारों को आपत्ति बाबत सुनवाई का समुचित अवसर दिए कुर्रेजात रिपोर्ट में किया गया संशोधन आधारहीन है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलांट द्वारा मालीराम से खरीदी गई भूमि बाबत मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी व बैनामे के इंद्राजों के विपरीत प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए पारित किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 में त्रुटि कारित हुई है, अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर उनसे आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.01.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर